



2026:AHC:11848

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 34085/2025

मयंक कुमार

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्ष पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता:

संजु सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुख्तार आलम (जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री कुशल राज चौधरी ने की) तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान ए.जी.ए श्री विजेंद्र कुमार को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत अर्जी अभियुक्त-आवेदक, मयंक कुमार की ओर से दायर की गई है। इसमें केस क्राइम नंबर 46/2024 में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-B और आई.टी. अधिनियम की धारा 66-D के तहत, पुलिस थाना साइबर क्राइम, जिला वाराणसी में दर्ज है; और इस पर निचली अदालत में मुकदमा चल रहा है। निचली अदालत में आवेदक की जमानत अर्जी को माननीय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी ने दिनांक 5.7.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था, और आवेदक 25.4.2025 से जेल में बंद है।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुख्तार आलम ने जमानत याचिका पर जोर देते हुए कहा कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे गलत इरादों से इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एफआईआर, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है, पीड़िता द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने जूडियो कंपनी की फ्रेंचाइजी के विज्ञापन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन के चार महीने बाद, उसे मनोज नाम के एक व्यक्ति का फोन आया, जिसका मोबाइल नंबर 85838-31308 था। फोन में बताया गया कि उसने फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन किया है और उसे पंजीकरण कराना होगा। साथ ही, उससे 2,65,500 रुपये की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने उक्त राशि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में जमा कर दी। इसके अलावा, 13.3.2024 को 5,90,000/- रुपये की राशि जमा कराई गई। इसके बाद, दिए गए खाते में 11,80,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि जमा कराई गई, लेकिन उक्त राशि वापस कर दी गई। शिकायतकर्ता को सूचित किया गया कि वे लोग कोलकाता और अजमेर में दुकानें खोलने जा रहे हैं और 21.4.2024 को ही लौटेंगे। शिकायतकर्ता द्वारा बाद में किए गए संपर्क का कोई जवाब नहीं मिला और संपर्क नंबर बंद कर दी गई। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता के साथ 8,55,500/- रुपये की धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है। उसका नाम सह-अभियुक्त प्रशांत कुमार के इकबालिया बयान में सामने आया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक और सह-अभियुक्त आकाश कुमार, प्रशांत कुमार और आवेदक के खिलाफ आरोपपत्र 11.5.2024 को पहले ही दाखिल किया जा चुका है और इसका संज्ञान भी 11.6.2025 को लिया जा चुका है। इस प्रकार, आवेदक के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह मुकदमे में सहयोग करने का वचन देता है और जमानत पर रिहा होने पर जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं करेगा। इसलिए, जमानत के लिए प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि आवेदक की संलिप्तता रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री और आवेदक के कब्जे से बरामद की गई सामग्री से सिद्ध हो चुकी है। आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फर्जी वेबसाइटें बनाते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन चलाते हैं। जब लोग विज्ञापनों के आधार पर उनसे फ्रेंचाइजी आदि लेने के लिए संपर्क करते हैं, तो वे पंजीकरण शुल्क, सुरक्षा राशि, जीएसटी राशि, प्रोसेसिंग शुल्क आदि के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करते हैं। आवेदक बिहार का निवासी है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके भाग जाने की संभावना है, जिससे मुकदमे की प्रगति गंभीर रूप से बाधित होगी। इसलिए निवेदन है कि जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जाए।

यह एक स्थापित विधि है कि जमानत देते समय न्यायालय को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होता है:

आरोप की प्रकृति, उसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप मिलने वाली सजा की गंभीरता, अभियुक्त का चरित्र, अभियुक्त से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियाँ, अपराध में उसकी भूमिका और संलिप्तता, अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका।

इस न्यायालय का मानना है कि भारत में प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति और डिजिटल अवसंरचना के व्यापक उपयोग के कारण साइबर अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिनमें फिशिंग घोटाले, रैंसमवेयर हमले, साइबर स्टाकिंग और डेटा उल्लंघन शामिल हैं। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने देश के डिजिटल परिवर्तन को गति दी है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी कमजोरियों को भी उजागर किया है जिनका साइबर अपराधी फायदा उठाते हैं।

साइबर अपराध पूरे देश में लोगों को प्रभावित कर रहा है, चाहे उनका धर्म, क्षेत्र, शिक्षा या वर्ग कुछ भी हो। अखबार, पत्रिकाएं, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया साइबर अपराध के अनगिनत निर्दोष पीड़ितों की त्रासदियों से भरे पड़े हैं, जिनकी मेहनत की कमाई लूट ली गई है। ऐसे साइबर अपराध हमारे समाज में व्यापक रूप से फैले हुए हैं और इन्हें रोकना आवश्यक है। हमारे देश में साइबर अपराध एक 'खामोश वायरस' की तरह है—जो चुपके से फैलता है, व्यवधान डालता है, और समाज को केवल पैसों का ही नहीं, बल्कि भरोसे, सुरक्षा और प्रगति का भी नुकसान पहुँचाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है।

तदनुसार, जमानत याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

14 जनवरी, 2026

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।